

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 109B/2016-17

शम्भू चरन महतो बनाम लाल चांद महतो

:: आदेश ::

दिनांक


पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

31.07.18

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता शम्भू चरन महतो पिता स्व० मधु महतो, ग्राम-गोपालपुर, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता लाल चांद महतो, पिता-गोरा चांद महतो, ग्राम-पाटाहंसल, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसे निराकरण हेतु वापस किया गया था जिसका कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।